भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1441
मंगलवार, 12 मार्च, 2025/21 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की योजना

1441. श्री नरहरी अमीनः
श्री मदन राठौड़ः
श्री अरूण सिंहः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
डा. भीम सिंहः
श्री ईरण्ण कडाडीः
श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायकः
श्रीमती किरण चौधरीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और एलपीजी वितरण केन्द्रों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा दिए गए आवेदनों के प्रक्रमण में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में पीएसीएस के लिए मानदंडों में छूट दिए जाने के लिए कोई प्रावधान हैं;
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि पीएसीएस ऐसे ईंधन स्टेशन स्थापित और संचालित करे जिनकी भूमि और भंडारण सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी अवसंरचना तक पहुँच हो; और
(घ) पीएसीएस को पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और एलपीजी वितरण केंन्द्रों को संचालित करने की अनुमति देने से किसानों और ग्रामीण समुदायों को कैसे लाभ होगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन की अनुमति प्रदान कर दी है । खुदरा पेट्रोल/डीज़ल डीलरशिप के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कंबाइंड कैटेगरी, जिसके अंतर्गत 1% आरक्षण प्रदान किया जाता है, में पैक्स को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है । इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंप को खुदरा आउटलेट में रूपांतरित करने के लिए भी वन-टाइम विकल्प दिया गया है जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी विज्ञापनों पर पैक्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो आवेदन की प्रकिया को आसान बनाती है । आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और पूरी प्रक्रिया की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।

(ग): दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए पंजीकरण, भूमि की उपलब्धता और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तदनुसार, इन शर्तों को पूरा करने वाले पैक्स पर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा चयन हेतु विचार किया जाता है ।

(घ): पैक्स को पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट और एलपीजी वितरण एजेंसियों के प्रचालन की अनुमति प्रदान करने से किसानों और ग्रामीण समुदायों को कई लाभ मिलते हैं। इस पहल का लक्ष्य सुदूर क्षेत्रों में इंधन की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि यंत्रों के लिए इंधन की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है और फलत:, किसानों के लिए प्रचालनात्मक विलंबता और लागत को घटाना है । पैक्स द्वारा संचालित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लक्ष्य ग्रामीण घरों को किफायती और सुलभ रसोई गैस प्रदान कर उनके जीवनयापन के स्तरों में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त, ये व्यवसाय पैक्स के लिए राजस्व के नए स्रोतों का सृजन करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे । यह पहल ग्रामीण आर्थिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जो ग्रामीण आजीविका और अवसंरचना को बेहतर बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका को सशक्त करती है ।

*****